(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम पीपलू

दशरथ सिंह बनाम प्रतापसिंह

किस्म मुकदमा- प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

प्रकरण संख्या 95 सन् 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर, तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
04.09.24	अधिवक्ता प्रार्थीया ने मय वाद प्रार्थना पत्र पेश कर बहस में निवेदन किया की भूमि आराजी ख0न0 4451/2160 रकबा 0.3330 हैक्ट. ख0न0 4509/4448 रकबा 0.1186 हैक्ट., ख0न0 4460/2467 रकबा 0.2324 हैक्ट, ख0न0 4461/3709 रकबा 0.6223 हैक्ट. वाके ग्राम पीपलू पटवार हल्का पीपलू प्रथम त0 पीपलू में स्थित है। उक्त आराजीयात के प्रार्थीगण तन्हा, खातेदार, मालिक, स्वामी एवं काबिज है। इसी प्रकार भूमि आराजी ख0न0 4550/2160 रकबा 0.3330 हैक्ट., ख0न0 4507/4447 रकबा 0.1506 हैक्ट., ख0न0 4459/2467 रकबा 0.2023 हैक्ट. वाके ग्राम पीपलू, पटवार हल्का पीपलू प्रथम त0 पीपलू जिला टोंक में स्थित है। जो प्रतिपक्षी संख्या 01 के खातेदारी में अंकित है। प्रार्थीगण व प्रतिपक्षी की उक्त वर्णित आराजीयात पूर्व में पक्षकारान् की संयुक्त खातेदारी में अंकित थी, जो पक्षकारान् द्वारा तकासमा करवाया गया था और तकासमा में उक्त आराजीयात प्रार्थीगण एवं प्रतिपक्षी संख्या 01 के पृथक पृथक रूप से अंकित हुई है। प्रार्थीगण के खातेदारी में जो उक्त वर्णित आराजीयात आयी है, उनका जमाबंदी में अंकित रकबे के अनुसार नक्शा शीट में रकबा प्रदर्शित नही किया गया और प्रार्थी की भूमि को प्रतिपक्षी संख्या 01 की भूमि ख0न0 4550/2160 रकबा 0.3330 हैक्ट., ख0न0 4507/4447 रकबा 0.1506 हैक्ट., ख0न0 4459/2467 रकबा 0.2023 हैक्ट. मे मिलाते हुए नक्शा शीट में अंकित कर दिया गया। जिससे प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमियो का रकबा नक्शा शीट में मुताबिक जमाबंदी नाप किये जाने पर रकबे का मिलान नही होता है। प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी की आराजीयात के रकबे को प्रतिपक्षी संख्या 01 के उक्त खेतो मे मिलाते हुए भू नक्शा ऑन लाईन में अंकित किये जाने के कारण प्रतिपक्षी संख्या 01 की नियत में बेईमानी आ गई है और वह अब नक्शा नवशा शीट के अनुसार अपनी आराजीयात को रहन, दान, बेचान तथा अन्य प्रकार से हस्तान्तरित करना चाहते है। जिसका प्रतिपक्षी संख्या 01 को कोई वैधानिक अधिकार नही है। अतः प्रतिपक्षीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत हैं। प्रकरण में प्राइमाफेसीयॉ केस प्रार्थी के हक में प्रतीत होता है। अतः प्रतिपक्षी संख्या 01 ता को अस्थायी निषेधाज्ञा से आगामी पेशी तक पाबन्द किया जाता है की वह उक्त वर्णित आराजी ख0न0 4550/2160 रकबा 0.3330 हैक्ट., ख0न0 4507/4447 रकबा	

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

0.1506 हैक्ट., ख0न0 4459/2467 रकबा 0.2023 हैक्ट. वाके ग्राम पीपलू, पटवार हल्का पीपलू प्रथम का रहन, दान, बेचान तथा अन्य प्रकार से हस्तान्तरित नही करे तथा प्रार्थी के कब्जे काश्त में मजामहत व मदाखलत नही करे। राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके यथास्थिती बनाये रखे। प्रतिपक्षीगण की तलबी जरिये रजिस्टर्ड एडी0 जारी हो। यदि आदेश के जारी होने में आपत्ति हो तो प्रतिपक्षीगण नियत तिथि पर उपस्थित होकर पेश करे। पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर दिनांक 18.09.2024 को पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

18/9/24 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी/प्रार्थी उपस्थित/पी.ओ साहब राजकार्य में व्यस्त/अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण पत्रावली ति आदेशिका अनुसार दिनांक 8/10/24 पेश हो।

08/10/24 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी/प्रार्थी उपस्थित/पी.ओ साहब राजकार्य में व्यस्त/अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण पत्रावली ति आदेशिका अनुसार दिनाक 07.11.2024 पेश हो।

07/11/24 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उप./प्रतिपक्षी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री नन्दकिशोर शर्मा व अधि. श्री हेमराज गुर्जर एड. ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। पत्रावली वास्ते जवाब प्रा.पत्र दिनांक 14.11.2024 को पेश हो।

14/11/24 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी/प्रार्थी उपस्थित/पी.ओ साहब राजकार्य में व्यस्त/अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण पत्रावली ति आदेशिका अनुसार दिनाक 13.12.2024 पेश हो।

13/12/24 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी/प्रार्थी उपस्थित/पी.ओ साहब राजकार्य में व्यस्त/अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण पत्रावली ति आदेशिका अनुसार दिनाक 14.2.25 पेश हो।

Scanned with OKEN Scanner

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत..मुकाम..

........................दशरथ सिंह........................बनाम........................प्रतापसिंह वगै.

किस्म मुकदमा.......................................नं..........................95.........सन..........2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14/02/25	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उप.। पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 21.02.25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
21/02/25	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उप.। जवाब प्रा.पत्र प्रस्तुत हुआ। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 28.02.25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
28/02/25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी/प्रतिवादी उपस्थित/पी.ओ साहब राजकार्य में व्यस्त/अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण पत्रावली ...ति आदेशिका अनुसार दिनांक 30.04.25 पेश हो। (हस्ताक्षर)	
30/4/25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी/प्रतिवादी उपस्थित/पी.ओ साहब राजकार्य में व्यस्त/अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण पत्रावली ...स आदेशिका अनुसार दिनांक 1/7/25 पेश हो। (हस्ताक्षर)	
1/7/25	पत्रावली पेश हुई अधि० उभयपक्ष उप० पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 16-9-25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की ... में जारी
27/08/25	प्रा.पत्र मिसल तलब कर वाद बादीगण डिक्री किये जाने बाबत प्रस्तुत होने पर पत्रावली आज दिनांक को पेश हुई। चूंकि प्रश्नगत वाद डिक्री किया जा चुका है, अतः न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश इसी स्तर पर खारिज किया जाकर, पत्रावली इसी स्तर पर ड्रॉप की जाती है। पत्रावली निर्णीत शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो एवं नियमानुसार नम्बर से कम हो। (हस्ताक्षर) उप खण्ड अधिकारी पीपलू (टोंक)	

अज अदालत....................

....

कस्म मुकदमा....................

तारीख हुक्म	

Scanned with OKEN Scanner